

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(44)RSMSSB/अर्थना/लिंगे-II/मर्ती/2018/1396

दिनांक: 16.04.2018

विज्ञापन सं. 07/2018

लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018

राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1970, राजस्थान लोक सेवा आयोग(लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) नियम तथा विनियम, 1989 एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के अन्तर्गत कमश्त शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के लिये लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक के रियत पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं : -

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल योग
1.	शासन सचिवालय	लिपिक ग्रेड-II	329	-	329
2.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	लिपिक ग्रेड-II	09	-	09
3.	राज्य के अधीनस्थ विभाग/कार्यालय	कनिष्ठ सहायक	9768	1149	10917
कुल पद			10108	1149	11255

विशेष नोट :-

(1) On line Application Form में समर्त वाइट सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

- 1. आवेदन प्रक्रिया:-** आवेदन On lineApplication Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के नियारित ई-मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्रके माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना e-mail ID बना ले एवं e-mail ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं passwordसे Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करें। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करें। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई रामरत प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार नियारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा करें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/- परीक्षा शुल्क) जमा कराने हेतु सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करें। इसके पश्चात Dashboard पर Ongoing Recuitment पर संबंधित परीक्षा के Apply nowlink पर Click कर अपना आवेदन भरें। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई



त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेंगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/एटीएम, क्रम डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। यदि आवेदन Submit करने एवं फीस जमा करने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिये लिपिक ग्रेड-II। एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों के लिये कनिष्ठ सहायक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभागों का आवंटन वरियता सह प्राथमिकता (Merit cum Priority) के आधार पर किया जावेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी जिन विभागों में पदस्थापन चाहते हैं उन विभागों का प्राथमिकता क्रम पद कोड संख्या के अनुसार अवश्य भरें। अन्यथा उनको विभागों का आवंटन बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर वरियता के आधार पर पद कोड संख्या के अनुसार किया जावेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग को उनकी अर्थना में वर्णित 10917 रिक्त पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को विभागों का आवंटन प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्रित हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
4. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आईडी) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न जानें।
5. कृपया ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।

2. परीक्षा शुल्क:—

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग व कीमतेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 450/-
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमतेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रुपये 350/-
 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रुपये 250/-

नोट:-

1. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
3. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
4. फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. प्रवेश पत्र:—

बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश—पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश—पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश—पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा करने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश—पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपना ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें तथा मोबाइल नम्बर नहीं बदलें।



4. लिपिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:-

(क) लिपिक ग्रेड-II (शासन सचिवालय) पद कोड संख्या-01

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			बारा जिले की सहारिया आदिम जाति				
329	117	33	13	03	37	10	04	01	28	08	03	—	49	14	6	01	09	—	—	—	—

होतिज आरक्षण (Horizontal)																	
पिशेष योग्यजन						भूपूर्व सेनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी					
B/LV	HI	LD/CP															
03	03	03				41						06					

(ख) लिपिक ग्रेड-II (राजस्थान लोक सेवा आयोग) पद कोड संख्या-02

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			बारा जिले की सहारिया आदिम जाति		
09	09	—	—	—	03	—	—	—	02	—	—	—	—	—	—	—	—		

होतिज आरक्षण (Horizontal)																	
पिशेष योग्यजन						भूपूर्व सेनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी					
B/LV	HI	LD/CP															
—	—	—				—			—			—			—	—	—

(ग) कनिष्ठ सहायक (राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय) (गैर अनुसूचित क्षेत्र) पद कोड संख्या-03

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अति पिछड़ा वर्ग			बारा जिले की सहारिया आदिम जाति							
9768	3307	945	377	94	1109	317	126	31	968	283	112	28	1348	385	154	38	69	21	7	1	20	6	2	0

होतिज आरक्षण (Horizontal)																	
पिशेष योग्यजन						भूपूर्व सेनिक						उत्कृष्ट खिलाड़ी					
B/LV	HI	LD/CP															
57	58	58				853			124								

(घ) कनिष्ठ सहायक (अधीनस्थ विभाग / कार्यालय) (अनुसूचित क्षेत्र)

कुल पद	समान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	पर्सनल	संग्रहीत	विवाह	परिवर्तन	राज्य	संस्कृत	विवाह	परिवर्तन	राज्य	पर्सनल	संग्रहीत	विवाह
1149	400	115	45	11	40	12	04	01	365	105	41	10

क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal)												
विशेष योग्यजन			भूतपूर्व सैनिक				उत्कृष्ट खिलाड़ी					
B/LV	HII	LD/CP										
10	10	10	106				16					

नोट:-

- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिकितयों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं।
- महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) होगा।
- आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कभी या बढ़ोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना / शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अन्यथीं उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिकितयों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अप्लानीत की गई रिकितयों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिकितयों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रमाणित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिकितयों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिकित पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिकितयों का आरक्षण क्षेत्रिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अन्यथीयों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रभाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रभाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- महिलाओं हेतु आरक्षित दराएं गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विचिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अन्यथीं उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह - विचिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अन्यथीं उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)/डीओपी/ए-ए/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 1 प्रतिशत आरक्षण देय है।

6. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
7. राजस्थान राज्य से मिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का भाना जावेगा।
8. बारा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कौलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बारा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आखण का लाभ देय होगा।
9. भूतपूर्व सैनिकों हेतु— भूतपूर्व सैनिकों को आखण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिक के पदों का आखण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपशुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। उक्त नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनियम तिथि से पूर्व सेवा सेवानिवृत्त होना आवश्यक है।
10. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु—** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आखण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आखण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्त पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान** :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 15-03-2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ‘उत्कृष्ट खिलाड़ियों’ से अभिष्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने —
1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तित्वः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
या
 2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तित्वः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
या
 3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तित्वः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
या
 4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरराज्यनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।
- कृपया ध्यान दें कि यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर यिना साक्ष गलत आखण श्रेणी अकित की है, तो बोर्ड द्वारा आवेदक के विरुद्ध कार्रवाही भी की जा सकती है।
11. **विशेष योग्यजन (निश्चयजन) के लिये :-**
- a. राजस्थान निश्चयजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)नियम, 2011 के अनुसार निश्चयजन श्रेणी में मिन्न श्रेणियों को ही लिपिक ग्रेड-ग/कनिष्ठ सहायक पदों हेतु आरक्षण का लाभ देय है :—
 1. B/L/V (Blind and Low Vision)
 2. HI(Hearing Impairment)
 3. LD/CP(Locomotor Disability and Cerebral Palsy)

विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आखण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
 - b. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निश्चयजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकार व संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के नियम 38(4)के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनों की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता तो वहाँ ऐसी रिक्त को अग्रणीत किया जाएगा।
 - c. विशेष योग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

, ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की क्षेत्री में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्ताजन व्यवितरणों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 2(1)(b) के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित विकिटसा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्ताजन व्यवितरणों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्ताजन (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आवक्षित पदों हेतु पात्र माना जाए।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :—

1. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आखण की मणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/११/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ क्षेत्री सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शब्दों) नियम-2014 के अनुसार होगा। जहाँ पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा नियम-1999 यथा संशोधित की प्रावधान लागू होंगे।
3. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 13(2) ८०-एल-१ दिनांक 12. 02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।

नोट— अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण—पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया एवं परीक्षा का पात्रयक्तम एवं स्कीम संबंधी प्राक्षान गैर—अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमानः— राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	पद का नाम	पे—मैट्रिक्स लेवल
1.	तिथिक ग्रेड-II / कनिष्ठ सहायक	L-5

परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- (i) Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent Examination.
AND
 - (ii) "O" or Higher Level certificate course conducted by DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.
- OR
- Certificate course on computer concept by NIELIT, New Delhi.
- OR
- Computer operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/ State council or Vocational Training Scheme.
- OR
- Degree/ Diploma/Certificate in Computer Science / Computer application from a university established by law in India or from an institution recognized by the Government.
- OR
- Senior Secondary Certificate from a recognized Board of Secondary Education in the Country, with the computer Science/ Computer Application as one of the subjects.
- OR
- Diploma in computer Science & Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.
- OR
- Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited".
- (iii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आपद्यक नोट:-—परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा /रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी किन्तु उसे —

1. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के नायम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व,
2. जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मायम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,
3. जहाँ चयन के बाल लिखित परीक्षा या यथारिति, केवल साक्षात्कार के मायम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व,

समुचित चयन ऐजेन्सी/बोर्ड को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

नोट:-

1. आवेदकों को लिपिक ग्रेड-ा/कनिष्ठ सहायक के पद पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के फेज-॥ की हिन्दी/अंग्रेजी की टक्कण परीक्षा की अंतिम तिथी से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है।

अन्य योग्यताएँ :-

(1) **स्वास्थ्य** :—लिपिक ग्रेड-ा/कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पदों के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह लिपिक ग्रेड-ा/कनिष्ठ सहायक पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाधार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

8. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1—1—62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जानिया, मालदी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट:-—परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं स्थाय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वाचित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयुः——आवेदक 1, जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क-ा/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार ‘जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र साना आवेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।’

स्पष्टीकरण—— लिपिक ग्रेड-ा/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 03 वर्ष में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी—

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :—
 - (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
 - (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. भूतपूर्व कौदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. उस भूतपूर्व कौदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।

4. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे विभाग के सक्षम अधिकारी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
5. रिलीज़ इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सॉर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के सक्षम उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जायेगा।
6. पूर्वी अफीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिकारी (Substantive) हैंसियत से कार्य कर रहे हैं की उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। यह छूट अर्जन्ट अस्थाई नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य सरकार के पब्लिक सेवटर उपकर्मी/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8. 1971 के भारत—पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विरहापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
9. विधवाओं और विवाह—विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
- स्पष्टीकरण—विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह—विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
11. कैडेट अनुदेशकों (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को पिछित आयु सीमा में समझा जायेगा।
12. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियमजन नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी:—
 1. सामान्य वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 10 वर्ष
 2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के विशेष योग्यजन हेतु 13 वर्ष
 3. अ०३०/अ०३०३० के विशेष योग्यजन हेतु 15 वर्ष

नोट:-

- (क) भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जायेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक भूतपूर्व सैनिक/संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1970 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग(लिपिकवर्गीय एवं अधीनस्थ) नियम तथा नियमजन, 1999 एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 यथा संशोधित एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
- (ग) उपरोक्त नियम 9 की क.स. 1 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अभ्यर्थीयों को उपरोक्त क.स. 1 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. अंशदायी पेंशन—

नवे भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

- 11. विवाह पंजीयन :—** शासन के परिपत्र क्रमांक प.६(१९) मृ०-१३/२००६ दिनांक २२-५-२००६ के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि—

- (क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, एटीएम, कम बैंकिंग कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 10.05.2018 से दिनांक 08.08.2018 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है।
- (ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 10.05.2018 से दिनांक 08.08.2018 को मध्य रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं (इसके समर्थन लिंक निम्निय हो जाएगा)। आवेदकों को राताह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अनियमित दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक :—

लिपिक ग्रेड-ग/कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संबंधित या माह सितम्बर, 2018 में आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :—

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :—

- (1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए पिशेष आधार है।
- (2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।
- (4) ऐसा कोई भी अन्यथी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निश्चय हो, गणना नहीं की जाएगी।

- (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या काट-छाट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत व्यायाम देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करें :—

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट— राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (कीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें—

- आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समरत शर्त पूरी करता है एवं पद के साम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से गिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का अवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का On line Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अधिकारियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अधिकारियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई हैं। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जांच अलग से की जायेगी। अरथाई रूप से ध्येय होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं भूत्पूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अधिकारी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी की होगी।
6. अधिकारियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सम्बन्ध के आमानी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. **फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश**
- फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
 - आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
 - फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
 - फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
 - यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
 - आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
 - फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज $3.5 \text{ cm} \times 4.5 \text{ cm}$ होनी चाहिए।
 - फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240×320 एवं अधिकतम 480×640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
 - स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- 8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-**
- आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौड़ाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
 - हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
 - आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
 - परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किसी गये आवेदक को हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
 - केवल जेपीईजी(JPEG)प्रारूप को रखीकार किया जाएगा।
 - जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280×80 से अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए।
 - फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
 - हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
 - मोबाइल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ रखीकार नहीं किया जायेगा।
- विशेष टिप्पणी:-**
- परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियाँ आमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित

- तरीके से शुल्क 100/- रु जमा करना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जाएगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छातों एवं पायदानों पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडवंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाए रखें।
 3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्पाही का पार्श्वार्थी बालपैन, 2.5×2.6 सेमी का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में भोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की नहीं होगी।
 4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2018 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्भवित है।
 5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का इंस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
 6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया :— यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रतिविधियों में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

18. श्रुत लेखन की सुविधा—सामान्यतया: सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारी का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अत्य दृष्टि न्यूक्लिम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह करे होने या उंगतियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगे, प्रत्युत्तु अधानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंदोलित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

19. प्रमाण-पत्रों का संत्यापन—आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/उत्कृष्ट चिलाड़ी) का लाभ तब ही देय होगा जबकि सुख्ख परीक्षा में उत्तीर्ण धोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :—

1. जाति प्रमाण —पत्र जो कि सकाम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण—पत्र नियमानुसार पवित्र/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पवित्र/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पवित्र के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मात्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र On line Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अंतिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पवित्र के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।
8. भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना पी.पी.ओ ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन नहीं किया जायेगा।

20.आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अकित करनी चाहिए और परीक्षार्थीयों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सर्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" लक्ष "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थीयों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम :—
लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :—

प्रश्न पत्र अवधि अंक

फेज-I

1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित।	3 घण्टे	100
2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।	3 घण्टे	100

फेज-II

I- निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थीयों के लिए :-

1. कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण

क.	गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख.	दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25

2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण

क.	गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख.	दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25


II- निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज I में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-

1. "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभियेत है जो राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के उपबन्धों के अधीन लिपिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।
2. इस प्रकार निःशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।
3. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकड़री परीक्षा का है परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय-समय पर योग्यता करे और उसके अभ्यर्थीयों को नियम समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो बोर्ड उचित समझे।

4. प्रतियोगी परीक्षा दो फेज में – फेज I और फेज II में आयोजित की जायेगी। फेज I के समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
 5. विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुने के अधिकान फेज I में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही फेज II में प्रवेश दिया जायेगा किन्तु उक्त रेज में उन समस्त अभ्यर्थियों को समिलित किया जायेगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। बोर्ड ऐसे किरी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा के फेज-I के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक और फेज-II के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहा हो।
 6. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के फेज I और फेज II में प्राप्त अंकों की गणना, उनकी अंतिम योग्यताक्रम अवधारित करने के लिए की जायेगी।
 7. किसी अभ्यर्थी के लिए कम्प्यूटर पर टंकण कार्य करना आवश्यक होगा और वह परीक्षा के समय अपने स्वयं का कम्प्यूटर, पेन और पेन्सिल लायेगा।
- लिपिक ग्रेड-II/ कनिष्ठ सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पाद्यक्रम (Syllabus) अलग से बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

- 22. बोर्ड की वेबसाइट:**—अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्थान कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अधिक दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मन्त्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(डॉ. बी.एल. जाटावत)
अध्यक्ष